फर्द अहकाम

नियम 20

जर्ये अदालत न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुकाम–बारां (राज.)

बउनवान

प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लिमि० कॉर० आफिस एक्सिस हाउस, वर्ली, मुम्बई

बनाम

फर्म. दीलिप कुमार एण्ड कम्पनी प्रो. दीलिप कुमार गोयल ऋणी. श्री दिनेश कुमार गोयल (सहऋणी)

किस्म मुकदमा :– प्रा0पत्र धारा–14, सरफेसी एक्ट,2002(विविध)

मुकदमा नम्बर :– **07/2019**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज	नम्बर वता अहकाम जो इस हुक्म को तामील मेजरी हुए
13/05/2019	प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी, श्री पुनीत माथुर, एक्सिस बैंक लिमिटेड, कॉरपोरेट ऑफिस एक्सिस हाउस, बोम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड पाडुरंग बुद्वकर मार्ग, वर्ली, मुम्बई द्धारा जर्ये अभिभाषक श्री कृष्णकान्त शर्मा ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया कि एक्सिस बैंक लिमिटेड शाखा बारां ने अप्रार्थी **फर्म दीलिप कुमार एण्ड ब्रदर्स प्रोपराइटर दीलिप कुमार गोयल निवासी–प्रताप चौक, घीवालो का मकान, बारां अन्य पता– मंण्डी यार्ड, बारां (ऋणी) श्री दिनेश ट्रेडिंग कम्पनी प्रोपराइटर दिनेश कुमार गोयल निवासी डी'14 मंडी परिसर, कृषि उपज मंडी समिति, बारां (सहऋणी)** को जमानत प्रतिभूति के रूप में सम्पत्ति को बन्धक रखकर कुल 50,00,000/–रूपये का ऋण दिनांक 09.03.2017 को उपलब्ध कराया गया था। अप्रार्थी को उक्त ऋण को नहीं चुकाया है। इसलिये दिनांक 24.08.2018 को डिफाल्डर घोषित किया गया है। अप्रार्थी ऋण चुकाने में असफल रहा है, दिनांक 24.08.2018 तक 51,38,216/–रूपये एंव इसके पश्चात् शेष, ब्याज व अन्य खर्चे राशि बकाया है। अतः कार्यवाही The Securitisation and Reconstuction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा–2 के तहत पेश कर अपने पास बतोर जमानत रहन रखी हुयी उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु लिये पर्याप्त बल उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थनापत्र पेश होने पर प्रकरण में सुयोग्य बैंक के प्रतिनिधि को सुना तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। इससे	

जिला मजिस्ट्रेट बारां
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

13/05/2019

पाया जाता है कि अप्रार्थी ऋणी द्वारा उक्त बैंक से बन्धक सम्पित्त रखकर, ऋण लिया है। अप्रार्थी ऋण राशि जमा कराने में असफल रहा है। प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी(अप्रार्थी) एवं सहऋणी को दिनांक 16.10..2018 को धारा, 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है तथा अखबार साया भी किया गया है। बंधक सम्पत्तियॉ इसी जिले से संबंधित है। अतः The Securitisation and Reconstuction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा–14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि बंधक सम्पत्ति के स्वामित्व एवं कब्जे को लेकर प्रकरण किसी भी न्यायालय में जेरकार एवं स्थगन नहीं है। यदि विवाद है कि तो बैंक इस आदेश की क्रियान्विति नहीं कर, विवाद का संक्षिप्त विवरण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायेंगे। यदि विवाद नहीं है तो उक्तानुसार प्रार्थी बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गयी सम्पत्ति– **दुकान नं0 डी/14, मण्डी परिसर, कृषि उपज मंडी समिति, बारां कुल क्षेत्रफल 2152.5 वर्ग फीट जिसका चतुर्थ सीमा– पूर्व में दुकान नं. डी/15, पश्चिम में दुकान नं0 डी/13, उत्तर में रोड, दक्षिण में रोड** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक जर्ये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बारां तथा प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश पृथक से जारी किया जाकर, पत्रावली में संलग्न किया गया। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर, फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील अभिलेख भण्डार में प्रवीष्ट हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner